SOCIAL WELFARE DEPARTMENT

The 5th August, 2005

No. 2473-SW(4)-2005.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) read with Sub-section (2) of Section 4 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000 (56 of 2000) and all other power enabling him in this behalf, the Governor of Haryana hereby nominates Shri Harkesh, Advocate s/o Shri Jugati Ram, resident of Village Kakroi, Tehsil and District Sonepat as member (Social Worker) of Juvenile Justice Board, Sonepat constituted *vide* Government Notification No. 2829-SW(4)-2003, dated 11th November, 2003.

DALIP SINGH,
Commissioner and Secretary to Government Haryana,
Social Welfare Department.

चकबन्दी विभाग

दिनांक 6 अक्तूबर, 2005

संख्या 2598-ए०आर०एस०-1-2005/12524.—पूर्वी पंजाब जोत समेकन तथा खण्डकरण निवारण अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम 50) की धारा 41 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा, जिला राजस्व अधिकारी, नारनौल तथा तहसीलदार, नारनौल को, नारनौल शहर के क्षेत्र के भीतर उनके कार्यभार सम्भालने की तिथि से क्रमशः बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी तथा चकबन्दी अधिकारी, नारनौल के रूप में नियुक्त करते हैं।

के० सी० शर्मा,
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
चकबन्दी विभाग।

CONSOLIDATION DEPARTMENT

The 6th October, 2005

No. 2598-ARS-1-2005/12524.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 41 of the East Punjab Holdings (Consolidation and Prevention of Fragmentation) Act, 1948 (Punjab Act 50 of 1948), the Governor of Haryana, hereby appoints District Revenue Officer, Narnaul and Tehsildar, Narnaul, to be Settlement Officer (Consolidation) and Consolidation Officer, Narnaul respectively within the areas of Narnaul city with effect from the date of their taking over charge.

K. C. SHARMA,
Financial Commissioner and Principal Secretary to
Government Haryana, Consolidation Department.

राजस्व विभाग

युद्ध जागीर अधिसूचना

दिनांक 5 अक्तूबर, 2005

क्रमांक 1763-ज-2-2005/14928.—श्री धनी श्याम शर्मा पुत्र श्री संत राम, गांव बराड़ा (नई आबादी) तहसील बराड़ा, जिला अम्बाला की पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2(ए), (1ए) तथा 3(1ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 202-ज-1-82/10295, दिनांक 24 मार्च, 1982 द्वारा 300/- रुपये वार्षिक की दर से युद्ध जागीर मंजूर की गई थी। इसके पश्चात् सरकार की अधिसूचना क्रमांक 2944-ज-2-93/15918, दिनांक 26 अगस्त, 1993 द्वारा 1000/- रुपये वार्षिक तथा इसके पश्चात् अधिसूचना क्रमांक 1434-ज-2-2002/9460,दिनांक 12 जून, 2002 द्वारा 5,000/- रुपये वार्षिक की दर से इस युद्ध पुरस्कार अनुदान में संशोधन किया गया था।

2. अब श्री धनी श्याम शर्मा की दिनांक 22 नवम्बर, 2004 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त अधिनियम (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये इस जागीर को स्व० श्री धनी श्याम शर्मा की पत्नी श्रीमती रामा देवी के नाम फसल खरीफ, 2004 से 5000/-रुपये वार्षिक की संशोधित दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं।

आर० बी० खरबन्दा,
अवर सचिव, हरियाणा सरकार,
राजस्व विभाग।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 28 सितम्बर, 2005

राजस्व विभाग

युद्ध जागीर अधिसूचना

दिनांक 6 अक्तूबर, 2005

क्रमांक 1898-ज-2-2005/15033.—श्री सरदार सिंह सपुत्र श्री शीला सिंह, गांव कोड़वा खुर्द तहसील नारायणगढ़, जिला अम्बाला की पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2(ए), (1ए) तथा 3(1ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 115-ज-1-80/6386, दिनांक 19 फरवरी, 1980 द्वारा 300/- रुपये वार्षिक की दर से युद्ध जागीर मंजूर की गई थी। इसके पश्चात् सरकार की अधिसूचना क्रमांक 2944-ज-2-93/15918, दिनांक 26 अगस्त, 1993 द्वारा 1000/- रुपये वार्षिक तथा इसके पश्चात् अधिसूचना क्रमांक 1434-ज-2-2002/9460, दिनांक 12 जून, 2002 द्वारा 5,000/- रुपये वार्षिक की दर से इस युद्ध पुरस्कार अनुदान में संशोधन किया गया था।

2. अब श्री सरदार सिंह की दिनांक 20 जनवरी, 2005 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त अधिनियम (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये इस जागीर को स्व० श्री सरदार सिंह की पत्नी श्रीमती बलवन्त कौर के नाम फसल खरीफ, 2004 से 5000/-रुपये वार्षिक की संशोधित दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं।

आर० बी० खरबन्दा,
अवर सचिव, हरियाणा सरकार,
राजस्व विभाग।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 26 सितम्बर, 2005

लोक निर्माण विभाग

(भवन एवं मार्ग शाखा) वृत गुड़गावां

दिनांक 21 सितम्बर, 2005

क्रमांक नं० 28 जी० ए०-87 डी०/18.—चूंकि, हरियाणा के राज्यपाल को प्रतीत होता है कि नीचे निर्दिष्ट भूमि सरकार द्वारा सरकारी खर्च पर सार्वजनिक प्रयोजन अर्थात् उटोन से राठीवास जिला गुड़गावां के लिए तुरन्त अपेक्षित है। इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित प्रयोग में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

यह अधिसूचना भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के करीब उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए की जाती है जिनका इनसे सम्बन्ध हो।

पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल, इस समय इस कार्य में लगे अधिकारियों को अपने सेवकों तथा कर्मचारियों सहित उक्त परिक्षेत्र में किसी भूमि पर प्रवेश और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित या अनुज्ञात अन्य सभी कार्य करने के लिये इसके द्वारा प्राधिकृत करते हैं।

इसके अतिरिक्त हरियाणा के राज्यपाल इस बात से संतुष्ट हैं कि उपरोक्त कार्य के लिए जिस भूमि की आवश्यकता है वह कार्य भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 17सी (2) के अन्तर्गत एक आवश्यक कार्य के लिए है और हरियाणा के राज्यपाल इस मत के हैं कि उपरोक्त अधिनियम की उपधारा 2 इस केस पर लागू होती है। इसलिए धारा 17 की उपधारा 4 के अन्तर्गत निर्देश दिये जाते हैं कि इस एक्ट के अधिनियम 5 इस भूमि अभिग्रहण केस पर लागू नहीं होते हैं।

भूमि के नक्शे का निरीक्षण भूमि अधिग्रहण कलैक्टर लोक निर्माण विभाग भवन तथा मार्ग शाखा गुड़गावां या कार्यकारी अभियन्ता प्रान्तीय मण्डल नम्बर 2 लोक निर्माण विभाग, भवन एवं मार्ग शाखा, गुड़गावां के कार्यालय में किया जा सकता है।

विशिष्टि

जिला	तहसील	परिक्षेत्र/गांव	हदबस्त संख्या	क्षेत्रफल	खसरा नं०
1	2	3	4	5	6
गुड़गावां	तावडू	राठीवास	34	4 कनाल	21 25/2
					20 21
					28 5-6
					29 1-10

(हस्ता०). . .,

अधीक्षक अभियन्ता,

गुड़गांव परिमण्डल, लोक निर्माण विभाग (भवन तथा मार्ग शाखा),

गुड़गांव।

PUBLIC WORKS DEPARTMENT

(BUILDING AND ROADS BRANCH) CIRCLE GURGAON

The 21st September, 2005

No. 28-GA-87-D/18.—Whereas, it appears to the Governor of Haryana that land is likely to be required to be taken by the Government at the public expense, for a public purpose, namely, for construction of road from the scheme of Uttaon to Rathiwas in Tauru Tehsil, Gurgaon District.

It is hereby notified that the land in the locality described below is likely to be acquired for the above purpose.

This notification is made under the provision of Section 4 of the Land Acquisition Act, 1894 to all whom it may concern.

In exercise of the powers conferred by the aforesaid section, the Governor of Haryana is pleased to authorise the officers, for the time being engaged in the undertaking with their servants and workmen to enter upon and survey any land in the locality and to do all other acts required or permitted by that section.

Any person interested, who has any objection the acquisition of any land in the locality may within 30 days of the publication of the notification, in the official gazette or in two Newspapers or publicity in the locality which ever is later file an objection in writing before the Land Acquisition Collector, Haryana, PWD (B&R Branch), Bhiwani under the said Act.

Specification

District	Tehsil	Locality/ Village	Hadbast No.	Area in Acres	Khasra No.
1	2	3	4	5	6
Gurgaon	Tauru	Rathiwas	34	0.51	21 25/2
					20 21
					28 5, 6
					29 1,10

(Sd.). . .,

Superintending Engineer,

Gurgaon Circle, Public Works Department

(Building & Roads Branch), Gurgaon.